

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

नई दिल्ली, 23 अक्टूबर, 2019: भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने आज सभी हितधारकों से टिप्पणियों के लिए 'क्लाउड सेवाएं' पर एक परामर्श पत्र जारी किया। परामर्श पत्र का पूरा पाठ भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध है।

2. इससे पहले, भादूविप्रा ने 16 अगस्त, 2017 को 'क्लाउड सेवाओं' पर अपनी सिफारिशें जारी की थी, जिसमें क्लाउड सेवाओं के लिए कानूनी और विनियामक फ्रेमवर्क, डेटा सुरक्षा के लिए व्यापक और विस्तृत फ्रेमवर्क, एकाधिक क्षेत्रों में काम कर रहे क्लाउड सेवा प्रदाताओं के लिए इंटरऑपरबिलिटी और पोर्टबिलिटी कानूनी फ्रेमवर्क, लागत-लाभ विश्लेषण आदि को शामिल किया गया था। इसके अलावा, दूरसंचार विभाग ने 27 सितंबर, 2018 के अपने पत्र द्वारा सूचित किया कि भारत सरकार ने भादूविप्रा की सिफारिशों पर विचार किया है और औद्योगिक निकाय के पंजीकरण के नियम एवं शर्तों, पात्रता की शर्तों, प्रवेश शुल्क, पंजीकरण अवधि और शासन संरचना आदि पर भी भादूविप्रा से अतिरिक्त सिफारिशें मांगी हैं।

3. इस परामर्श पेपर का उद्देश्य क्लाउड सेवा प्रदाताओं के लिए औद्योगिक निकायों के पंजीकरण के फ्रेमवर्क का निर्धारण करने के लिए प्रासंगिक मामलों पर विचार और विश्लेषण करना है। परामर्श पत्र में औद्योगिक निकाय के पंजीकरण की पात्रता की शर्तों, सदस्यता नीति एवं शासन संरचना से संबंधित अन्य नीतिगत मुद्दों को शामिल किया गया है। परामर्श विषयगत मामलों पर केंद्रित व सीमित है, जिस पर दूरसंचार विभाग ने 27 सितंबर, 2018 के उपर्युक्त पत्र के द्वारा भादूविप्रा से अतिरिक्त सिफारिशें मांगी हैं।

4. हितधारकों से परामर्श पत्र में उठाए गए मुद्दों पर टिप्पणियां और प्रति-टिप्पणियां क्रमशः 20 नवंबर, 2019 तक और 4 दिसंबर, 2019 तक आमंत्रित की गई हैं। टिप्पणियां और प्रति-टिप्पणियां, अधिमानतः इलेक्ट्रॉनिक रूप में advqos@trai.gov.in पर भेजी जा सकती हैं। किसी भी स्पष्टीकरण या जानकारी के लिए श्री असित कादयान, सलाहकार (क्यूओएस), भादूविप्रा से टेलीफोन नंबर: + 91-11-23230404, फैक्स नंबर + 91-11-23213036 द्वारा संपर्क किया जा सकता है।

(एस. के. गुप्ता)

सचिव, भादूविप्रा

अस्वीकरण: यह विज्ञप्ति / निविदा मूलरूप से अंग्रेजी में लिखित विज्ञप्ति / निविदा का हिंदी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित यह विज्ञप्ति / निविदा मान्य होगी।